

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, KOLKATA

O. A. No. 128 of 2024 (EZ)
(Earlier O. A. No. 593/2024/PB)
(I.A.No.64/2025/EZ)

Suo Moto: News item titled "Iss saal bhi neelami ke aasar nahi, Ghaton par mafiaon ka kabja; Dhanbad me dhadalle se jaari hai balu ki taskari" appearing in livehindustan.com dated 12.04.2024

.....Applicant(s)

Versus

Jharkhand State Pollution Control Board & Ors. ... Respondent(s)

INDEX

S. N.	Particulars	Page No.
1.	Humble Counter Affidavit on behalf of Jharkhand State Pollution Control Board.	01-06
2.	Annexure-A: True copy of letter no.666 dated 05.05.2025 of District Mining Officer, Dhanbad.	07-20
3.	Annexure-B(Series): True copy of Board's letter no. 2016 dated 22.07.2025 & 2386 dated 19.08.2025.	21-22

Filed by: -

(Surendra Kumar)
Advocate
JSPCB, Ranchi

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, KOLKATA

O. A. No. 128 of 2024 (EZ)
(Earlier O. A. No. 593/2024/PB)
(I.A.No.64/2025/EZ)

Suo Moto: News item titled "Iss saal bhi neelami ke aasar nahi, Ghaton par mafiaon ka kabja; Dhanbad me dhadalle se jaari hai balu ki taskari" appearing in livehindustan.com dated 12.04.2024

... Applicant(s)

Versus

Jharkhand State Pollution Control Board & Ors. ... Respondent(s)


Counter Affidavit on behalf of Jharkhand State Pollution Control Board in compliance of the order dated 21.07.2025.

I, Amit Kumar, son of Bhola Nath Mahto presently posted as Environmental Engineer, Jharkhand State Pollution Control Board, Ranchi and am duly authorized to swear this affidavit and do here by solemnly state and affirm as follows:

The block contains a notary seal for Mithilesh Ranhi, Ranchi, Jharkhand, with a registration number A/A-2382/237. There are two orange 10 Rupee stamps from the Advocate Welfare Fund, one on the left and one on the right, both dated 21.07.2025. Below the left stamp is a green 5 Rupee stamp from the Advocates Clerk Welfare Fund, dated 21.07.2025. Below the right stamp is another orange 15 Rupee stamp from the Advocate Welfare Fund, dated 21.07.2025. A handwritten number '2' is visible at the bottom center.

25/8/2025
Notarized under Notaries Act 1956
Notary No. 1800 by Govt. of Jharkhand
Date: 21.07.2025
57


1. That, at present, I am working and posted as Environmental Engineer, Jharkhand State Pollution Control Board, Ranchi and as such, I am well acquainted with all the facts and circumstances of this case.
2. That, I have gone through the order dated 21/07/2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata and have understood the contents therein.
3. That, I have been authorized to swear this affidavit by the Competent Authority. Further, it is stated that I have gone through the relevant files and records in the present case.
4. That it is humbly stated and submitted that the Hon'ble Tribunal vide its Order dated July 21, 2025 was pleased to allow the answering respondent to file Action Taken Report in view of the affidavit dated 18/07/2025 filed on behalf of the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate, Dhanbad.
5. That it is humbly stated and submitted that the list of the names of violators and the details of



the FIRs lodged against each of them, forwarded by District Mining Officer, Dhanbad as received from the Senior Superintendent of Police, Dhanbad to the Member Secretary, Jharkhand State Pollution Control Board, Ranchi therein affidavit filed by the Deputy Commissioner, Dhanbad was Scrutinized by the Board. But, on Scrutiny of the said list, it was found that the quantity of sand illegally mined and transported was not mentioned therein.

Photocopy of letter no.666 dated 05.05.2025 of District Mining Officer, Dhanbad with enclosed List is annexed & marked as **Annexure-A**.

6. That it is humbly stated and submitted that accordingly, vide letter no. 2016 dated 22/07/2025 of the Board, the District Mining Officer, Dhanbad, Jharkhand has been requested to mention the quantity of illegal mined out sand and transported illegally in the list submitted so that environmental compensation can be computed. Further, a reminder



was also issued in this regard vide letter no. 2386 dated 19/08/2025 of the Board.

Photocopy of Letter no. 2016 dated 22.07.2025 & 2386 dated 19.08.2025 are annexed and marked **Annexure-B (Series)**.

7. That it is further stated and submitted that the desired information to compute environmental compensation sought from the District Mining Officer, Dhanbad is awaited and as such the Hon'ble Tribunal maybe pleased to allow the Jharkhand State Pollution Control Board to file appropriate affidavit in the matter upon receiving of the aforesaid information.
8. That, the instant Affidavit is filed bonafide and in the interest of justice.
9. That the statements made in forgoing paragraphs are true to my knowledge and the annexure is true copy of its original.

Amit Kumar
DEPONENT




VERIFICATION:

Verified at Ranchi on this the day of August, 2025 that the averments & facts stated herein above are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT Amit Kumar

Ref.No. 57 Date.....



Notary Seal under Notaries Act, 1956
No. 1856 of 1956
Jharkhand, Ranchi, India

31/8
NOTARY
25/8/2025
RANCHI



झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

जिला खनन कार्यालय, धनबाद।

(Email- dmo-dhanbad@jharkhandmail.gov.in)

पत्रांक:- 666/एम0, धनबाद, दिनांक:- 05/05/2025

प्रेषक:- जिला खनन पदाधिकारी
धनबाद।

सेवा में,
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद,
राँची।

विषय:- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलए पूर्वी जोन बेंच कोलकता में विचाराधीन वाद O.A. No. 151/2023/EZ News Item titled "Despite National Green Tribunal Ban illegal sand mining is going on in Jharkhand" appearing in Prabhat Khabar dated 08.09.2023 बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य मामलें में संलिप्त अभियुक्तों के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।


प्रसंग:- आपका पत्रांक 857/राँची, दिनांक 25.03.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में धनबाद जिलान्तर्गत बालू के अवैध उत्खनन/भंडारण एवं परिवहन में संलिप्त अभियुक्त का नाम/पता एवं अन्य प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय पत्रांक 600/एम0, दिनांक 19.04.2025 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद को पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद के पत्रांक-935, दिनांक 03.05.2025 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गई है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन


जिला खनन पदाधिकारी,
धनबाद।



81

पत्रांक-935/हिन्दी शाखा
शरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, धनबाद।

प्रेषक: शरीय पुलिस अधीक्षक,
धनबाद।

सेवा में: जिला खनन पदाधिकारी,
धनबाद।

19-03-2025

प्रसंग :- आपके कार्यालय का पत्रांक-600/एम0, धनबाद, दिनांक-19.04.2025

विषय:- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलए पूर्वी जोन बेंच कोलकता में वाद Q.A No 151/2023/EZ News Item titled **Despite National Green Tribunal Ban illegal sand mining is going on in Jharkhand appearing in Prabhat khabar dated 08-09-2023** बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य मामले में संलिप्त अभियुक्तों के संबंध में विस्तृत सूचना से संबंधित प्रतिवेदन तैयार कर भेजने के संबंध में।

*****000*****


उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के सन्दर्भ सूचित करना है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलए पूर्वी जोन बेंच कोलकता में वाद Q.A No 151/2023/EZ News Item titled **Despite National Green Tribunal Ban illegal sand mining is going on in Jharkhand appearing in Prabhat khabar dated 08-09-2023** बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य मामलों में संलिप्त अभियुक्तों के संबंध में विस्तृत सूचना से संबंधित प्रतिवेदन तैयार कर माँग की गयी है।

अतः धनबाद जिलान्तर्गत माँगी गयी वॉछित विवरणी वर्ष-2021 से अबतक बालू के अवैध उत्खनन/भंडारण एवं परिवहन के मामलों में संलिप्त अभियुक्तों का नाम/पता से संबंधित प्रतिवेदन तैयार कर भेजी जा रही है।

क्र0सं0	थाना कांड संख्या, दिनांक एवं धारा	प्राथमिकी अभियुक्त का नाम/पता
(वर्ष-2021)		
01	चिरकुण्डा थाना काण्ड सं0 98/2021 दि0 07.04.2021 धारा 379/409/420/411/34 भा0द0वि0 तथा झारखण्ड लघु खनिज अधि0 2004 की धारा 54, खान खनिज अधि0 विकास विनियमन अधि0 21 तथा झारखण्ड खनिज अधि0 13	प्राथमिकी अभियुक्त 1. रवि गोराई पे0 फागु गोराई सा0- नन्दलाल स्कूल के समीप 2. गुड्डु सिंह उर्फ कमलेश सिंह पे0 जमुना सिंह पता- चिरकुण्डा 3. राजु भगत पे0 अंकित नही सा0- आई होस्पिटल के समाने 4. मोना गोराई पे0 अंकित नही सा0 कापासाड़ा, सभी- थाना चिरकुण्डा, जिला- धनबाद
02	टुण्डी थाना कांड सं0- 32/2021, दिनांक- 12.04.2021 धारा- 379/411/413/414/34 भा0द0वि0 एवं 4/54 J.M.M.C.RULE-2004, 9/13 J.M.C.I.M.T.S. RULE 2017, 4/21 M.M.D.R.-	प्राथमिकी अभियुक्त 1. ट्रेक्टर नं0- JH10BF-4587 के चालक 2. ट्रेक्टर नं0- JH10BF-4587 के मालिक 3. ट्रेक्टर नं0- JH09AG-4678 के चालक 4. ट्रेक्टर नं0- JH09AG-4678 के मालिक तीनों पता- अंकित नही
03	बरवाअड्डा थाना कांड संख्या-43/21, दिनांक-16.03.2021, धारा-379/411/34 भा0द0वि0 /21 खान एवं खनिज अधिनियम/54 झरखंड खनिज समनुदान नियमावली एवं The Jharkhan Mineral (Prevention of Illegal Mining Transportion and Storage) Rule2017-13 पूर्वी टुण्डी थाना काण्ड सं0-75/21, दिनांक-17.11.2021, धारा-379/420/413/ 414/34 भा0द0वि0 एवं, 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधि0-1957, 13 झा0 खनिज विक्रेता नियमावली 2017 एवं 54(1) झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2017	प्रा0 अभियुक्त (क) ट्रेक्टर सं0-JH10CA-8990 के चालक प्रदीप मुर्मू उम्र 22 वर्ष पे0 बिखर मुर्मू सा0 बन्दोजोड़ मनियाडीह, धनबाद (ख) ट्रेक्टर चेचिस सं0-MBNAAAVAPLRN06531 के चालक कपिल मरांडी उम्र 18 वर्ष पे0- बगजोला, मनियाडीह धनबाद (ग) ट्रेक्टर चेचिस सं0-MBNAGA48ACLPA67235 के चालक मुकेश कुमार महतो उम्र-28 वर्ष पे0-एतवारी महतो सा0-तिलैया, बरवाअड्डा धनबाद (घ) ट्रेक्टर चेचिस सं0-MYASR101880283 के चालक करमा मरांडी उम्र 24 वर्ष पे0 पूरन मरांडी सा0 बगजोला, मनियाडरीह धनबाद (ङ) ट्रेक्टर चेचिस सं0-MBNAABAPERK04721 के चालक सुरेश मरांडी उम्र 26 वर्ष पे0 साहेबरांम मरांडी सा0 सर्रा, मनियाडीह धनबाद (च) ट्रेक्टर चेचिस सं0-MBNAJ48FLTH46866 के चालक बिलटु यादव उम्र 22 वर्ष पे0 भूल्ही महतो सा0-नावाडीह, मनियाडीह, धनबाद (छ) ट्रेक्टर इंजन सं0-EZJSS860702S3 के चालक उमेश यादव उम्र 21 वर्ष सा0 गुलियाडीह, मनियाडीह धनबाद(ज) ट्रेक्टर संख्या- ट्रेक्टर सं0-JH10CA-8990 के मालिक (झ) ट्रेक्टर चेचिस सं0-MBNAAAVAPLRN06531 के मालिक (ञ) ट्रेक्टर चेचिस सं0-MBNAGA48ACLPA67235 के मालिक (ट) ट्रेक्टर चेचिस सं0-MYASR101880283 के मालिक (ठ) ट्रेक्टर चेचिस सं0-MBNAABAPERK04721 के मालिक (ड) ट्रेक्टर चेचिस सं0-MBNAJ48FLTH46866 के मालिक (ढ) ट्रेक्टर इंजन सं0-EZJSS860702S3 के मालिक एवं



		(ग) अज्ञात-1 सभी सा0-अंकित नहीं धनबाद के विरुद्ध घटनास्थल NH2 गितिया मोड़ के पास थाना बरवाअड्डा जिला धनबाद
04	बरवाअड्डा थाना काण्ड संख्या-115/21, दिनांक-07.08.2021, धारा-379/411/34 भा0द0वि0 /21 खान एवं खनिज अधि0 /54 झा0 लघु खनिज समनुदान नियमावली एवं 13 झा0 खनिज नियमावली 2017	प्र0 अभि0 (क) वाहन सं0-JH10AY-5797 के मालिक (ख) वाहन सं0-JH10AY-5797 के चालक सपन डोम उम्र करीब 35 पे0 स्व0 सिदाम डोम सा0-आमझर थाना-बलियापुर जिला धनबाद (ग) वाहन सं0-JH10BW-1154 के मालिक (घ) वाहन सं0-JH10BW-1154 का चालक तपेश्वर रजवार उम्र करीब 31 वर्ष पे0 स्व0 अकलु रजवार सा0-सोनरिया थाना बरवाअड्डा धनबाद (ङ) वाहन सं0-JH10BL-2282 के मालिक (च) वाहन सं0-JH10BL-2282 के चालक (ज) वाहन सं0-JH10AG-5149 के मालिक (झ) वाहन सं0-JH10AG-5149 के चालक गुबाल आलम उम्र 21 वर्ष पे0-अख्तर शाह सा0-धरियो महोबनी थाना गोविन्दपुर जिला धनबाद
05	चिरकुण्डा थाना काण्ड सं0 82/2021 दि0 18.03.2021 धारा 379/34 भा0द0वि0 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियामवली 2004, JMPI MT Rule 2017 की धारा 17 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियम अधि0 1957) की धारा 21	प्राथमिकी अभिवृक्त 1. ट्रैक्टर नं0- JH10BF-4587 के चालक 2. ट्रैक्टर नं0- JH10BF-4587 के मालिक 3. ट्रैक्टर नं0- JH09AG-4678 के चालक 4. ट्रैक्टर नं0- JH09AG-4678 के मालिक तीनों पता- अंकित नहीं
06	टुण्डी थाना कांड सं0- 28/21, दिनांक- 19.03.21 धारा- 379/411/413/414/34 भा0द0वि0 एवं 4/54 JMPIMTS RULE 2017, 9/13 and 4/12 MMDR 1957	इन्होंने 1. टाटा 407 वाहन सं0- JH10BV- 0398 के मालिक एवं चालक, 2. सोनालिका ट्रैक्टर सं0- JH10AY- 4009 एवं ट्रैलर सं0- JH10AY- 5292 के मालिक एवं चालक, 3. सोनालिका ट्रैक्टर इंजन नं0- 3100FLS13C239939F2, चेचिस नं0- AZJSW238730/3 के मालिक एवं चालक, 4. सोनालिका ट्रैक्टर इंजन नं0-3100FL73F651167F3, चेचिस नं0- HZJST65753193 के मालिक एवं चालक 5. सोनालिका ट्रैक्टर इंजन नं0- 3100FL73A607320F3, चेचिस नं0- BZJST611939S3 के मालिक एवं चालक
07	बरवाअड्डा थाना कांड सं0- 197/21 दि0-15.12.2021 धारा-379/411/413/ 420/34 भा.द.वि. एवं 21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957, 54 झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा 13 The Jharkhand Mineral(Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rule 2017	प्रा0अभि0 01. ट्रैक्टर चेचिस सं0-MYASR1025264S3 इंजन सं0-3100FLU14BI019663F18 के मालिक 02. ट्रैक्टर चेचिस सं0-MYASR1025264S3 इंजन सं0-3100FLU14BI019663F18 के चालक 03. ट्रैक्टर चेचिस सं0-JZJSR1089603S3 इंजन सं0-3100FLU14H1083596F18 के मालिक 04. ट्रैक्टर चेचिस सं0-JZJSR1089603S3 इंजन सं0-3100FLU14H1083596F18 के चालक 05. ट्रैक्टर चेचिस सं0-BYASH904523S3 इंजन सं0-3100FLU04A900742F18 के मालिक 06. ट्रैक्टर चेचिस सं0-BYASH904523S3 इंजन सं0-3100FLU04A900742F18 के चालक 07. ट्रैक्टर चेचिस सं0-EYASR1080646S3 इंजन सं0-3100FLU14G1074825F18 के मालिक 08. ट्रैक्टर चेचिस सं0-EYASR1080646S3 इंजन सं0-3100FLU14G1074825F18 के चालक 09. ट्रैक्टर चेचिस सं0-MBNAJ48AFLTP10038 इंजन सं0-CJ1354SBP21309 के मालिक 10. ट्रैक्टर चेचिस सं0-MBNAJ48AFLTP10038 इंजन सं0-CJ1354SBP21309 के चालक 11. ट्रैक्टर सं0-JH10CA /3857 के मालिक 12. ट्रैक्टर सं0-JH10CA /3857 के चालक 13. ट्रैक्टर चेचीस सं0-NHN32300ZMG558897 इंजन सं0-9325L82485 के मालिक 14. ट्रैक्टर चेचीस सं0-NHN32300ZMG558897 इंजन



		<p>सं०-9325L82485 के चालक 15. पीकअप 407 सं०-JH01Y-7790 के मालिक 16. पीकअप 407 सं०-JH01Y-7790 के चालक 17. पीकअप 407 सं०-JH02E-2321 के मालिक 18. पीकअप 407 सं०-JH02E-2321 के चालक 19. पीकअप 407 सं०-JH11D-8456 के मालिक 20. पीकअप 407 सं०-JH11D-8456 के चालक तथा क्रेता/विक्रेता एवं अन्य के विरुद्ध</p>
08	<p>महुदा थाना कांड सं०-71/21 दिनांक-01.12.2021 धारा-379/414/34 भा०द०वि० एवं 30(2)कोयला खान अधि० एवं 4/54 झा०लघु खगिज समुनुदान नियमावली एवं 4 खान एवं खगिज अधि० तथा 21 खान एवं खगिज विकाष विनियमन अधि० एवं 13 झारखण्ड खगिज अधि०</p>	<p>प्रथमिकी के नामजद अभियुक्त 1. WB29B-8932 के चालक दिपाकर देवनाथ, मालिक 2.JH02AH-3204 चालक एवं मालिक 3. JH10AL-8102 चालक एवं मालिक 4. JH09AL-2446 चालक एवं मालिक</p>
09	<p>महुदा थाना कांड सं०-77/21 दिनांक-14.12.2021 धारा-379/413//414/34 भा०द०वि० एवं 4 खान एवं खगिज अधि० तथा 21 खान एवं खगिज विकाष विनियमन अधि० एवं 54(1)/54(5) झारखण्ड लघु खगिज समुदान अधि० एवं 3 प्रिवेन्शन ऑफ डेमेज टु पब्लिक प्रोप्टी एक्ट एवं 13 झारखण्ड खगिज अधि०</p>	<p>प्रथमिकी के नामजद अभियुक्त 1.JH09AK-6762 के चालक एवं मालिक 2.JH09AN-8959 चालक एवं मालिक</p>
10	<p>राजगंज थाना काण्ड संख्या-16/21 दिनांक-16.02.2021 धारा-379/411/34 भा०द०वि०, धारा-21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम-1957, धारा-4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 एवं धारा-9/13 झा० खनिज खनिज अवैध खनन के रोकथाम परिवहन नियमावली-2017</p>	<p>प्रथमिकी के नामजद अभियुक्त 1. स्वराज ट्रेक्टर डाला नं०-JH10AR-0792, इंजन नं०-3913SUDG006525A, चेचिस नं०-WXTH30405048883 के चालक 2. स्वराज ट्रेक्टर डाला नं०-JH10AR-0792, इंजन नं०-3913SUDG006525A, चेचिस नं०-WXTH30405048883 के मालिक, 3. सोनालिका ट्रेक्टर इंजन नं०-3100FLU040938401F18, चेचिस नं०-EZJSH94236653 के चालक राजकुमार यादव, उम्र-20 वर्ष, पे०-तुलु यादव, सा०-बोरापहाड़ी, थाना-खुखरा, जिला-गिरीडीह, 4. सोनालिका ट्रेक्टर इंजन नं०-3100FLU040938401F18, चेचिस नं०-EZJSH94236653 के मालिक, 5. आयसर ट्रेक्टर इंजन नं०-529727230645, चेचिस नं०-929711512829 के चालक</p>
11	<p>राजगंज थाना काण्ड संख्या-44/21 दिनांक-05.06.2021 धारा-379/411/34 भा०द०वि०, 21 खान एवं खनिज (वि०वि०)अधि०-1957, 54/4 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज अवैध खनन के रोकथाम (परिवहन और भण्डारण)</p>	<p>प्रथमिकी अभियुक्त 1. सोनालिका ट्रेक्टर E-3100NS04G938435F31C-EZQSH942376SM के चालक सुरेश कुमार महतो, उम्र-23 वर्ष, पे०-बहन महतो, सा०-काँको, थाना-कतरास, 2. सोनालिका ट्रेक्टर E-3100NS04G938435F31C-EZQSH942376SM के मालिक, दोनों जिला-धनबाद 3. सोनालिका ट्रेक्टर E-3100FLU04B913207F18CAZJSH918959SM के चालक इंदरिस अंसारी, उम्र-30 वर्ष पे०-बाबुजान, सा०-बोरा पहाड़ी, थाना-खुखरा, जिला-गिरीडीह, 4. सोनालिका ट्रेक्टर E-3100FLU04B913207F18CAZJSH918959SM के मालिक, 5. सोनालिका ट्रेक्टर E-3100FLS23K319472F2C-CZJSD320050SM के चालक अख्तर अंसारी, उम्र-32 वर्ष, पे०-कासिम अंसारी, सा०-बोरा पहाड़ी, थाना-खुखरा, जिला-गिरीडीह, 6. सोनालिका ट्रेक्टर E-3100FLS23K319472F2C-CZJSD320050SM के मालिक, 7. सोनालिका ट्रेक्टर E-3100FL04F928074F3C-HZJSH936303SM के चालक फिरोज अंसारी, उम्र-19 वर्ष, पे०-नसरुद्दीन अंसारी, सा०-बोरा पहाड़ी, थाना-खुखरा, जिला-गिरीडीह, 8. सोनालिका ट्रेक्टर E-3100FL04F928074F3C-</p>




		HZJSH936303SM के मालिक, 9. स्वराज ट्रेक्टर E-331008SWA00159CWYTA244191 42398 के चालक राजकुमार सिंह, उम्र-24 वर्ष, पे0-महेश सिंह, सा0-लालचक, थाना-कतरास, जिला-धनबाद एवं 10. स्वराज ट्रेक्टर E-331008SWA00159CWYTA24419142398 के मालिक
12	टुण्डी थाना कांड सं0-26/2021, दिनांक-10.03.2021 धारा-414/34 भा0द0वि0 एवं 4/54 J.M.M.C.RULE-2004, 9/13 J.M.C.I.M.T.S. RULE 2017, 4/21 M.M.D.R.-1957	1) ट्रक सं0 BR09B-9585, (2) ट्रक सं0 BR13BG-9796 (3) टाटा 407 वाहन सं0 JHI0BJ-2747 (4) टाटा 407 वाहन सं0 JH10P-6526 (5) टाटा 407 वाहन सं0 JH11E-9384 (6) टाटा 407 वाहन सं0 JHIOAT-5892 (7) टाटा 407 वाहन सं0 JHIOAL-2412 एवं (8) टाटा 407 वाहन सं0 JHIOH-4997 के चालक एवं मालिक ज्ञा
(वर्ष-2022)		
13	गोविन्दपुर थाना काण्ड सं0-28/22, दिनांक-30.01.2022, धारा-414/34 भा0द0वि0, झारखण्ड लघु समनुदान नियमावली-2004 की धारा-04/54, खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा-04/21, एवं झारखण्ड खनिज नियमावली-2007 की धारा-09/13	प्राथमिकी अभियुक्त-01.ट्रेक्टर सं0-JH10BJ-0203, टेलर नं0-JH10BJ-0660 के चालक लोगेन मुर्मू, पे0-स्व0 यादव मुर्मू, सा0-पथुरिया, थाना-गोविन्दपुर, जिला-धनबाद एवं 02.ट्रेक्टर सं0-JH10BJ-0203, टेलर नं0-JH10BJ-0660 के मालिक
14	महुवा (भाटडीह) थाना कांड सं0-70/22 दिनांक-27.08.22 धारा-379/411/413/भा0द0वि0 एवं 4/21 खान एवं खनीज अधिनियम	प्राथमिकी अभियुक्त ट्रेक्टर इंजन नं0-RFNB-11327 का चालक एवं मालिक
15	चिरकुण्डा थाना काण्ड सं0-219/2022 दिनांक-27-08-2022 धारा-379/411/34 भा0द0वि0 एवं खान खनिज अधिनियम (विकास का विनियमन अधिनियम-1957) की धारा-4/21 तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा-54 तथा झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक,परिवहन और भण्डारण नियम 2017 की धारा-7/9/13	प्राथमिकी अभियुक्त भगवति कन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स एल0ल0पी0 के मालिक/पार्टनर 1. श्री उत्तम कुमार शर्मा पिता-स्व0 लक्ष्मी नारायण पता- गांजागली, थाना-चिरकुण्डा, जिला-धनबाद
16	जोरापोखर थाना काण्ड संख्या 180/22, दिनांक 03.08.2022, धारा 379/353 भा.द.वि. 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम, 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 9/13 झारखण्ड अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम	प्रा0अभि0 यमुना प्रसाद पे0 राधानाथ महतो सा0 डुमरी बस्ती जामाडोबा थाना-जोड़ापोखर जिला धनबाद के द्वारा अज्ञात
17	निरसा (एम0पी0एल0 ओ0पी0) थाना काण्ड संख्या 225/22 दि0 10.07.22 धारा 379/411 भा0द0वि0, 04/21 एम0एम0डी0आर0 एक्ट 1957, 09/13 झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017, 54 जे0एम0एम0सी0 रूल 2004	1) ट्रेक्टर नं0 जे0एच0 10 सी- 3228, डाला सं0 जे0एच0 10 सी0जी0- 9842 (2) ट्रेक्टर नं0 अंकित नहीं, महिन्द्रा ट्रेक्टर मॉडल नं0 415डीआईएसपी, डाला सं0 अंकित नहीं के मालिको एवं चालक
18	निरसा (एम0पी0एल0 ओ0पी0) थाना काण्ड 226/22 दि0 11.07.2022 धारा 379/411 भा0द0वि0, 04/21 एम0एम0डी0आर0 एक्ट 1957, 09/13 झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017, 54 जे0एम0एम0सी0 रूल 2004	ट्रेक्टर नम्बर JH 10Z- 7875 के मालिक
19	बैंकमोड़ (भूली ओ0पी0) थाना काण्ड संख्या-160/2022, दिनांक-02.07.2022, धारा-379/414/353/34 भा0द0वि0, 4/21 खान एवं खनिज अधि0, 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान तथा 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2004	अज्ञात अपराधकर्मी
	निरसा थाना कांड सं0-221/2022 दिनांक-09.07.22 धारा-379/411 भा0द0वि0 एवं 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957, धारा-54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, धारा-9/13 झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम, 2017	महिन्द्रा ट्रेक्टर लाल रंग जिसका चेचिट नं0 MBNABADABHRA00220, इंजन नं0 RHA2DBN1533 एवं 2. आइसर ट्रेक्टर बिना नम्बर का जिसका इंजन नं0-E28502 एवं चेचिस नं0 स्पष्ट नहीं के चालक एवं मालिक




21	निरसा थाना कांड सं०-222/2022 दिनांक-09.07.22 धारा-379 भा०द०वि० एवं धारा-54 झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 धारा-4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधीन 1957 धारा-9/13 झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भंडारण) नियम 2017	सुलेमान अंसारी पिता तालेबीन अंसारी टोला बदलुडीह, ग्राम पाण्ड्राबेजरा 2. सन्नाउल अंसारी, पिता स्व० तालेबीन अंसारी 3. भागीरथ महतो पिता स्व० मथन महतो 4. बसीम अंसारी पिता स्व० इदरिस अंसारी 5. मजीद अंसारी पिता कालु मियां, 6. जावेद अंसारी पिता खलील अंसारी सा०-बदलुडीह, पिण्ड्राबेजरा, थाना निरसा जिला धनबाद
22	निरसा थाना कांड सं०-231/2022 दिनांक-16.7.22 धारा-379/411/413/34 भा०द०वि० एवं 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957, धारा-54 झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, धारा-9/13 झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम, 2017	वाहन सं०-JH10BB-0814 के चालक विश्वजीत मंडल उम्र 29 वर्ष, पिता सुबोध मंडल सा०-बरदोही, थाना गोविन्दपुर जिला धनबाद/मालिक
23	निरसा थाना कांड सं०-238/2022 दिनांक-21.7.22 धारा-379/411/414/34 भा०द०वि० एवं 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957, धारा-54 झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, धारा-9/13 झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम, 2017	1. हाईवा सं०-JH10BC-7927 के चालक सद्दाम हुसैन उम्र 22 वर्ष, पिता स्व० अब्दुल रसीद, सा० जीतपुर जामाडोवा थाना जारोपोखर 2. टाटा 407 वाहन सं०-JH10AE-5725 के चालक कलेश्वर हेम्रम उम्र 24 वर्ष, पिता स्व० दुलाल हेम्रम सा० जुरगूडीह थाना जिला जामताड़ा 3. टाटा 407 वाहन सं०-JH138-7994 के चालक 4. टाटा 407 वाहन सं०-JH10BM-7338 के चालक 5. टाटा 407 वाहन सं०-JH10J-3065 के चालक/मालिक
24	बलियापुर थाना कांड संख्या-110/2022 दिनांक-02.07.2022 धारा-414 भा०द०वि० एवं 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम, 2017 एवं 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004,	वाहन संख्या-JH20A-4098 के मालिक, अज्ञात चालक तथा अन्य लोग
25	सरायडेला थाना कांड सं०-115/22, दि०-09.06.2022, धारा-379/411/34 भा०द०वि० एवं 4/21 एमएमडीआर एक्ट एवं 9/13 जेएम एक्ट 2017	प्राथमिकी अभियुक्त वाहन सं०-जे०एच०१०ए०के० 8747 के चालक, मालिक
26	गोविन्दपुर थाना काण्ड सं०-199/22, दिनांक-11.06.2022, धारा-414/34 भा०द०वि०, 04/21 खान एवं खनिज विकास विनियम अधिनियम 1957 एवं 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 तथा 07/09/13 झारखण्ड खनिज विक्रेता नियमावली-2007	प्राथमिकी अभियुक्त-01.ट्रैक्टर वाहन का इंजन सं०-3100FL83H760781F3, Chechis No-JZJSG76877053 के मालिक एवं 02.ट्रैक्टर वाहन का इंजन सं०-3100FL83H760781F3, Chechis No-JZJSG76877053 के चालक सोनु मुर्मू, पे०-लखन मुर्मू, सा०-कुरवा, थाना-गोविन्दपुर, जिला-धनबाद एवं अन्य अज्ञात
27	गोविन्दपुर थाना काण्ड सं०-201/22, दिनांक-11.06.2022, धारा-379/411/414/34 भा०द०वि०, 04/21 खान एवं खनिज विकास विनियम अधिनियम 1957 एवं 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा 09/13 झारखण्ड खनिज विक्रेता नियमावली-2007	प्राथमिकी अभियुक्त-01.टाटा 407 सं०-JH10H-6778 के मालिक 02.टाटा 407 सं०-JH10H-6778 के चालक बाबुलाल मंडल पे०-बिमल मंडल, सा०-मोराडीह, थाना-पूर्वी टुण्डी, जिला-धनबाद 03.प्रताप मंडल, भोला मोड़ के पास, 04.ट्रैक्टर सं०-JH10AJ-2619 के मालिक 05.ट्रैक्टर सं०-JH10AJ-2619 के चालक डेमनारायण राय, पे०-गोविन्द राय, सा०-मोहलीडीह, थाना-पूर्वी टुण्डी, 06. ट्रैक्टर सं०-JH10CG-1054 के मालिक एवं 07. ट्रैक्टर सं०-JH10CG-1054 के चालक अजीत राय, पे०-साधु राय, सा०-मोहलीडीह, थाना-गोविन्दपुर, जिला-धनबाद एवं अन्य अज्ञात
28	गोविन्दपुर थाना काण्ड सं०-204/22, दिनांक-13.06.2022, धारा-379/411/414/34 भा०द०वि०, 04/21 खान एवं खनिज विकास विनियम अधिनियम 1957 एवं 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा 07/09/13 झारखण्ड खनिज विक्रेता नियमावली-2007	प्राथमिकी अभियुक्त-01.हाईवा सं०-JH10M-7638 के मालिक 02.हाईवा सं०-JH10M-7638 के चालक नन्द किशोर सिंह, पे०-स्व० शिव शंकर सिंह, सा०-बरहाट, थाना-बरहाट, जिला-बांका, बिहार 03.हाईवा सं०-JH10BZ-8775 के मालिक 04. हाईवा सं०-JH10BZ-8775 के चालक सन्तु कुमार पंडित, पे०-सुरेश पंडित, सा०-मनईटांड, थाना-धनसार, जिला-धनबाद 05. हाईवा सं०-JH10BY-2891 के मालिक 06. हाईवा सं०-JH10BY-2891 के जोहर अली साह उर्फ इनायत साह, पे०-स्व० मुस्तकीम साह, सा०-फकीरडीह थाना-गोविन्दपुर,



		जिला-धनबाद 07.ईस्माईल, सिजुआ के पास, थाना-जोगता, जिला-धनबाद एवं 08.अन्य अज्ञात
29	गोविन्दपुर थाना काण्ड संख्या-359/22, दिनांक-02.10.2022, धारा-414/34 भा0द0वि0, खान एवं खनिज अधिनियम की धारा-04/21, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा-54 एवं झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भंडारण) अधिनियम 2017 की धारा-07/09/13	प्राथमिकी अभियुक्त-01.हाईवा गाडी सं0-JH10BP-4506 के चालक एवं 02. हाईवा गाडी सं0-JH10BP-4506 के मालिक एवं अन्य अज्ञात
30	निरसा (एम0पी0एल0 ओ0पी0) थाना काण्ड संख्या 349/22 दि0 18.10.22 धारा 379/411 भा0द0वि0, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम 1957 तथा 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017	(1) ट्रैक्टर का इंजन नम्बर NYN B00901 तथा (2) ट्रैक्टर का इंजन नम्बर RJM 2DBN 2243 के मालिक
31	पूर्वी दुण्डी थाना थाना काण्ड सं0-88/2022 दिनांक-28.12.2022, धारा-379 भा0द0वि0 एवं 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957, 9/13 झारखण्ड खनिज विक्रेता नियमावली-2017 एवं 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004	(1) ट्रैक्टर का इंजन नम्बर NYN B00901 तथा (2) ट्रैक्टर का इंजन नम्बर RJM 2DBN 2243 के मालिक
32	तेतुलमारी काण्ड संख्या-40/22 दिनांक-16.10.22 धारा-414/34 भा0द0वि0 एवं 4/21 खान एवं खनिज अधि0 तथा 54/9/13ए झारखण्ड खनिज विक्रेता नियमावली 2007	प्राथमिकी के अभियुक्त हायवा संख्या-JH10CL-0042 के चालक फिरोज अंसारी उम्र-28 वर्ष पे0 तैयब अंसारी सा0 परासी थाना गोविन्दपुर जिला धनबाद 2. उक्त हायवा का मालिक एवं अज्ञात
33	मधुबन थाना कांड संख्या-62/2022 दिनांक- 14.10.2022 धारा- 413/34 भा0द0वि0 एवं 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम तथा 4/13 जे0एम0पी0आई0एम0टी0एस0 2017	ट्रेक्टर नम्बर JH09AQ-8925 के चालक अघनु देशवाली पिता-नाम अंकित नहीं सा0-मधुबन जिला-धनबाद तथा उसके मालिक
34	निरसा थाना कांड सं0-345/2022 दिनांक-15.10.22 धारा-379/411/414/34 भा0द0वि एवं 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन भंडारण) नियम 2017 एवं धारा-54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	प्रा0अभि0 1. हाईवा गाडी सं0-JH09V-5336 के मालिक एवं चालक असगर अंसारी उम्र 22 वर्ष, पिता हाबिल अंसारी एवं उपचालक सराफत अंसारी उम्र 18 वर्ष, पिता हाकिम अंसारी दोनों सा0-नुर्गी पो0 गोखला थाना नारायणपुर जिला जामताड़ा
35	निरसा (एम0पी0एल0 ओ0पी0) थाना काण्ड संख्या 349/22 दि0 18.10.22 धारा 379/411 भा0द0वि0, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम 1957 तथा 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017	(1) ट्रैक्टर का इंजन नम्बर NYN B00901 तथा (2) ट्रैक्टर का इंजन नम्बर RJM 2DBN 2243 के मालिक
(वर्ष-2023)		
36	निरसा (एम0पी0एल0 ओ0पी0) थाना काण्ड संख्या 156/23 दि0 29.04.23 धारा 379/411 भा0द0वि0, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम 1957 तथा 9/13 झारखण्ड खनिज नियम	चेचिस नम्बर R.F.N.B.07288 के मालिक
37	जोड़ापोखर थाना काण्ड सं0 85/23 दिनांक 29.04.23 धारा 414/34 भा0द0वि0 एवं 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम तथा 53/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली	प्रा0अभि0 1. खगेन गोप उम्र 32 वर्ष पिता कृष्ण पदो गोप सा0 बालीगढा थाना टमना जिला पुरुलिया (प0बंगाल) 2. ट्रैक्टर वाहन सं0 JH10CK-2506 के मालिक
38	निरसा थाना कांड सं0-157/2023 दिनांक-29.04.23 धारा-379/411 भा0द0वि एवं 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भण्डारण) नियम 2017 एवं 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	प्राथमिकी अभियुक्त 1. सोनालिका ट्रैक्टर नं0-JH10BV-7717 के मालिक/चालक 2. महेन्द्रा ट्रैक्टर नं0-JH10AE-6560 के मालिक/चालक
39	सुरायदेला थाना कांड सं0-85/23 दिनांक 03.04.23 धारा 414/34 भा0द0वि0 एवं 4/21 खान खनिज (विकास का अधि0 1957) एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भंडारण)नियम 2117 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की	प्रा0अभि0 (1)वाहन सं0-जे0एच0 10 सी0के0 1058 के चालक एवं मालिक (2)टाटा 407 सं0-जे0एच0 10 एच0 5730 के चालक एवं मालिक (3) ट्रैक्टर सं0 जे0एच0 10 सी0ए0 5730 डाला सं0-जे0एच0 10 सी0ए0 4521 का चालक एवं मालिक



	धारा	
40	सरायडेला थाना कांड सं०-107/23 दिनांक 29.04.23 धारा 414/34 भा०द०वि० एवं 4/21 खान खनीज (विकास का अधि० 1957) एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भंडारण)नियम 2117 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा 54	प्रा०अभि० (1) टाटा 407 सं०-जे०एच० 10 एल० 2489 के चालक एवं मालिक (2)टाटा 407 सं०-जे०एच० 10 बी०एच० 1319 के चालक एवं मालिक (3) टाटा 407 सं०-जे०एच० 10 बी०टी० 9591 के चालक एवं मालिक
41	सरायडेला थाना कांड सं०-25/23 दिनांक-28.01.23 धारा-379/411/34 भा०द०वि० खान एवं खनिज अधि०-(विकास का विनियम अधिनियम-1957)की धारा-4/21,खान खनिज(अवैध खनन पर रोक ,परिवहन और भंडारण नियम,2017) की धारा-09/13	प्राथमिकी अभियुक्त (1)टाटा-407 वाहन सं०-जे०एच०10बी-4653 (2) टाटा 407 वाहन सं०-जे०एच० 10 डब्लु-7319 (3)टाटा 407 सं०-डब्लु बी०55-2785 (4)टाटा 407 सं०-जे०एच० 10 एफ०-9369 (5) टाटा 407 सं०-जे०एच० 10ए०07019 के चालक एवं मालिक
42	गोविन्दपुर थाना कांड सं०-281/2023 दिनांक-28/08/2023 धारा-414/34 भा० द० वि० एवं 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 तथा 9/13 झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक,परिवहन एवं भंडारण),नियम 2017, एवं 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	प्रा० अभि० (1) टाटा 407 नं०-JH10K-1955 का चालक एवं मालिक, (2) टाटा 407 नं०-JH10G-6909 का चालक एवं मालिक (3) टाटा 407 नं०-JH10P-0878 का चालक एवं मालिक (4) टाटा ट्रक नं०-OR-16E-0101 का चालक एवं मालिक (5) हाईवा नं०-JH10CJ-0509 का चालक एवं मालिक तथा संलिप्त अन्य
43	गोविन्दपुर थाना कांड सं०-276/2023 दिनांक-26/08/2023 धारा-414/34 भा० द० वि० एवं 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 तथा 9/13 झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक,परिवहन एवं भंडारण),नियम 2017, एवं 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	प्रा० अभि० (1) वाहन(ट्रक) सं०-JH10BU-8366 का चालक एवं मालिक, तथा संलिप्त अन्य
44	गोविन्दपुर थाना कांड सं०-279/2023 दिनांक-27/08/2023 धारा-414/34 भा० द० वि० एवं 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 तथा 9/13 झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक,परिवहन एवं भंडारण),नियम 2017, एवं 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	प्रा० अभि० (1)वाहन सं०-UP64T-0232 का चालक मुस्तकिम अंसारी उम्र-25 वर्ष पिता-रजारल अंसारी सा०-नयाडीह, पो०-गोकुला, थाना-नारायणपुर, जिला-जामताड़ा (2) वाहन सं०-UP64T-0232 का मालिक विकी सा०-धनबाद (3) वाहन सं०-JH10AP-8608 का चालक रियासत अंसारी उम्र-26 वर्ष पिता-मुस्ताक अंसारी सा०- नयाडीह, पो०-गोकुला, थाना-नारायणपुर, जिला-जामताड़ा,(4) वाहन सं०-JH10AP-8608 का मालिक रीनी सिंह सा०-कोयलानगर, थाना-सरायडेला,जिला-धनबाद (5) बालू कारोबार में संलिप्त अन्य
45	मधुबन थाना कांड सं०-69/23 दिनांक-26.07.23 धारा-427 भा०द०वि० एवं 03 Prevention of Damage to public property Act	नामजद अभियुक्त 1. चन्द्रभानु गयाली, पे०-स्व० महादेव गयाली, सा०-ब्राम्हणडीह सिनीडीह, थाना-मधुबन जिला-धनबाद
46	सिंदरी (गौशाला ओ०पी०) थाना कांड सं०-46/2023 दिनांक-08.05.2023,धारा-379/414/34 भा०द०वि०, 4/ 21M.M.D.R Act 1957 and 9/13 The Jharkhand Mineral)Prevention of Illegal Mining Transportation Storage Rule 2017	वाहन के मालिक एवं अन्य
47	सरायडेला थाना काण्ड सं० 184/23 दिनांक 20.07.23 धारा 414/34 भा०द०वि० एवं खान एवं खनिज (विकास का विनियम)अधि०-1957 की धारा 4/21,झारखण्ड खनिज (वैध खानन पर रोक ,परिवहन और भंडारण)नियम-2017 की धारा 9/13 एवं झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा-54	प्रा०अभि० 1गाड़ी सं०-डब्लु० बी० 37 बी० 4736 के चालक एवं मालिक
48	सिंदरी (गौशाला ओ०पी०) थाना कांड सं०-44/2023 दिनांक-03.05.2023,धारा-379/414/34 भा०द०वि०, 4/ 21M.M.D.R Act 1957 and 9/13 The Jharkhand Mineral)Prevention of Illegal Mining Transportation Storage Rule 2017	मालिक एवं अन्य
49	सिंदरी (गौशाला ओ०पी०) थाना कांड सं०-58/2023 दिनांक-13.06.2023,धारा-353/341/414/504/34भा०द०वि० एवं 4/21 MMDR Act. -1957 & 9/13The Jharkhand Mineral भा .द०वि०4/21M.M.D.R Act 1957 and 9/13 The	प्राथमिकी अभियुक्त (01) भोलानाथ गोरार्ड, उम्र-39 वर्ष, पिता-निरजन गोरार्ड, सा०-हेट काण्डा (02) मो० अकरम, उम्र-50 वर्ष, पिता-स्व० शैदुला खान, सा०-चुड़ीपट्टी (03) अजय सिंह, पिता-राम केवल सिंह, सा०-सुरफारफेट कॉलोनी, बी०आई०टी० सिन्दरी केम्पस तीनों थाना गौशाला



	Jharkhand (Prevention of Illegal Mining Transportation Mineral Storage) Rule 2017	ओपीओ, जिला-धनबादएव (04) निला राग का अज्ञात ट्रैक्टर के मालिक तथा चालक एवं अन्यअज्ञात
50	मनियाडीह थाना कांड संख्या-14/23 दिनांक-10.06.2023 धारा-379/414/34 भा0द0वि0 एवं 4/21 The Mines & Minerals (Development & Regulation) Act 1957, 54 Jharkhand Miner Minerals Concession Rule-2004 and 9/13 The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rule-2017	अज्ञात अपराधकर्मी
51	गोविन्दपुर थाना काण्ड संख्या-360/23, दिनांक-08.11.2023, धारा-414/34 भा0द0वि0 एवं 4/21 MMDR ACT 1957, 9/13 (Prevention of illegal Minning transportation & storage) rule 2017 तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 की धारा-54	प्राथमिकी अभियुक्त-(1) वाहन संख्या JH10BD-1170 का मालिक एवं चालक एवं (2)वाहन संख्या JH10AJ-5029 का मालिक एवं चालक एवं अन्य
52	राजगंज थाना काण्ड संख्या-61/23 दिनांक-04.11.23 धारा-414/34 भा0द0वि0 एवं 4/21 खान एवं खनिज अधि0 तथा 7/9/13 झारखण्ड खनिज विक्रेता नियमावली-2007	प्राथमिकी के वाहन संख्या-JH10CS-6164 के मालिक एवं चालक तथा वाहन संख्या- JH09AB-9887 मालिक एवं चालक
53	निरसा (कालुबथान) थाना काण्ड संख्या 360/23 दि014.10.23 धारा 379/411/414 भा0द0वि0, 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957, 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक,परिवहन और भण्डारण) नियम 2017	(1) ट्रैक्टर नं0 जे0एच0 10 बीएम- 3384 एवं (2) ट्रैक्टर नं0 जे0एच0 10 यू- 2361 के चालक एवं मालिक
54	सिन्दरी (गोशाला ओपीओ) थाना कांड संख्या-95/2023 दिनांक-12.10.2023 धारा-414/34 भा0द0वि0 एवं 4/21 खान एवं खनीज (विकास का विनियम) अधिनियम-1975 एवं 54 झारखण्ड लघु खनीज समनुदान नियमवाली 2004 तथा 7/9/13 झारखण्ड खनीज (अवैध खनन पर रोक परिहन और भंडारण) नियम 2017	हाईवा संख्या-JH10AV-3941 के चालक एवं मालिक तथा अन्य अज्ञात
55	बरवाअडा थाना काण्ड संख्या:-157/23, दिनांक--19.09.23, धारा:-379/411/34 भा0द0वि0 एवं 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली तथा 7/9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम नियम)	1. हाईवा वाहन संख्या- BR09GA-8900, 2. वाहन संख्या- JH10CL-6395 एवं 3. ट्रैक्टर वाहन चेचिस नं0- T053516114HJ, ईंजन नं0- E3580318 के चालक एवं मालिक तथा अन्य अज्ञात
56	चिरकुण्डा (मैथन) थाना काण्ड संख्या 238/23 दिनांक 12.09.23 धारा 379/413/414/420 भा0द0वि0 एवं 4/21 खान एवं खनिज विकास का विनियमन तथा 21/13 झा0 खनिज पर रोक परिवहन /भण्डारण	अज्ञात अपराधकर्मी
(वर्ष-2024)		
57	धनबाद थाना कांड संख्या-385/2024 दिनांक - 20.08.2024 धारा - 317(5) BNS, 21 Jharkhand Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 13 Jharkhand Minirals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017	(1) टाटा 407 वाहन सं0- JH02AF- 3962 के मालिक एवं चालक, (2) टाटा 407 वाहन सं0- JH13B- 1994 के मालिक एवं चालक, (3) टाटा 407 वाहन सं0- JH10CB- 0735 के मालिक एवं चालक, (4) टाटा 407 वाहन सं0- JH10AX- 4171 के मालिक एवं चालक, (5) टाटा 407 वाहन सं0- WB55- 2785 के मालिक एवं चालक एवं अन्य अज्ञात
58	तिसरा थाना काण्ड सं0 74/2024 दिनांक 01.08.2024 धारा-317(5)/3(5)वी0एन0एस0 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 54 झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 एवं 13 झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम, 2017	प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 01.POWERTRAC -434 जिसका रजिस्ट्रेशन नं0-आधा खुरचा हुआ एवं इंजन नं0- E3203724 एवं चेचेस नं0-B-3183370 के मालिक एवं चालक
	राजगंज थाना कांड सं0-43/24, दिनांक-06.08.24, धारा-305(2)/317(2)/3(5) भा0न्या0सं0 एवं 4/21	अज्ञात अपराधकर्मी



	<p>खान एवं खनिज अधि० एवं 4/54 झा० लघु खनिज समनुदान नियमावली तथा 7/9/13 झा० खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भण्डारण) नियम</p>	
<p>60</p>	<p>गोविन्दपुर थाना कांड सं०-218 /24, दिनांक-17.08.24 धारा-303(2) 317 भा० न्या० सं०-2023 एवं 21 खाना एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधि०-1957 एवं 13 झा० खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भण्डारण) नियम-2017 एवं 54 झा० लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004</p>	<p>प्रा० अभि० (1) 407 वाहन संख्या-JH10BB-7504 के मालिक एवं ड्राइवर (2) महेंद्रा ट्रैक्टर बिना नम्बर का, जिसका इंजन सं०-RHD2EAN4612, चेचिस सं०-MBNABAEAKHRD01014 के मालिक एवं ड्राइवर (3) सोनालिका ट्रैक्टर बिना नम्बर का, जिसका इंजन सं०-3100FLU04K986967F18, चेचिस सं०-CYASH991840S3 के मालिक एवं ड्राइवर</p>
<p>61</p>	<p>गोविन्दपुर थाना कांड सं०-223/24 दि०-26.08.24 धारा-303(2)/317 भा० न्या० सं०-2023 एवं 21 खाना एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधि०-1957 एवं 13 झा० खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भण्डारण) नियम-2017 एवं 54 झा० लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004</p>	<p>प्रा० अभि० (1) SAWARAJ 834 XM ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नम्बर JH 10 BV 5721 टेलर रजिस्ट्रेशन नम्बर JH 10 BV 3549 के मालिक एवं चालक 02. SONALIKA DI 35 RX, जिसका इंजन नम्बर 3100FLU24B1143786F18 चेचिस नम्बर MYASJ 1152139S3 के मालिक एवं चालक 03. MAHINDRA B 275 DI ट्रैक्टर नम्बर JH 10 CV 5885 के मालिक एवं चालक</p>
<p>62</p>	<p>बरवाअड़डा थाना काण्ड सं०-154/2024 दिनांक-03.08.2024 धारा-303(2)/317(2) बी० एन० एस० एवं धारा-21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधि० 1957 एवं धारा 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 एवं धारा 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भंडारण) नियम 2017</p>	<p>अभियुक्त वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या - 1. ट्रैक्टर सं० - अंकित नहीं, Model No. - DI - 35 SM HDM, Chasis No. - MZJSP1417129SM, Engine No - 3100FLU44B14B254BF10, डाला संख्या अंकित नहीं है, वाहन पर लदे बालू की मात्रा लगभग 100 घनफीट के चालक एवं मालिक 2. ट्रैक्टर सं० - अंकित नहीं, Model No - DI - 35 ADM, Chasis NO - EYASJ121244253, Engine NO - 3100FLU24G1194102F18</p>
<p>63</p>	<p>बरवाअड़डा थाना काण्ड संख्या-224/2024, दिनांक-01.12.2024, धारा-303(2)/317(2) भारतीय न्याय संहिता, 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन एवं भण्डारण) नियमावली 2017, 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004</p>	<p>प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर निबंधन सं०- JH10BP3919 एवं JH10CL9566 के मालिक एवं चालक</p>
<p>64</p>	<p>जोराफोखर (भौरा ओ० पी०) काण्ड सं०-26/24 दिनांक-06.02.2024 धारा-379/ भा० द० वि०, 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधि०-1957 एवं 04/54 झारखण्ड लघु खनिज समुदायक नियमावली 2004 9/13 झारखण्ड खनिज विकेता नियमावली-2007</p>	<p>प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 01. ट्रैक्टर सं०-B275DITUHIGH TORQUE चेचिस न०-MBNABAEXKMRF07291 इंजन न०-RMF2EAN3375 रंग लाल के चालक एवं मालिक</p>
<p>65</p>	<p>बरवाअड़डा थाना काण्ड संख्या:- 36/24, दिनांक:- 27.02.24, धारा:-379/414/34 भा० द० वि० तथा 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भण्डारण) नियम 2017</p>	<p>वाहन संख्या-JH10AG-9559 के मालिक एवं चालक एवं अन्य अज्ञात</p>
<p>66</p>	<p>निरसा थाना कांड सं०-165/2024 दिनांक-30.05.24 धारा-414/34 भा० द० वि० धारा- 21 MMDR Act 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 एवं 7/9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017</p>	<p>प्राथमिकी अभियुक्त हाईबा सं०-JH10CT-1289 के चालक/मालिक</p>
<p>67</p>	<p>गोविन्दपुर थाना काण्ड संख्या-118/24, दिनांक-5.05.24, धारा-414/34 भा० द० वि०, एवं 4/21 खाना एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधि०-1957 एवं 9/13 झा० खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भण्डारण) नियम-2017 एवं 54 झा० लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004</p>	<p>1 ट्रैक्टर पंजीयन संख्या अंकित नहीं ट्रैक्टर स्वराज 834 XM इंजन न०-33.1008/SYH04263. चेचिस सं०-WSTH25419151545 ट्रेलर न० अंकित नहीं के मालिक एवं चालक (2) ट्रैक्टर पंजीयन संख्या-JH10CJ-9549 स्वराज 834 XM इंजन न०-33.1008/SDK04599 चेचिस सं०-NBNAG48ACMTK74140, ट्रेलर न० JH10CJ-7103 के मालिक एवं चालक (3) ट्रैक्टर पंजीयन संख्या-JH24H-4100 आधार 380, इंजन न०-5325I50315 चेचिस</p>



		सं०-930213146625 ट्रेलर नं० अंकित नहीं के चालक एवं मालिक (4) ट्रेक्टर पंजीयन संख्या-JH10BH-1397 महिन्द्रा yuvo 415 DI इंजन नं०-NHK5FA60016 चेचिस सं०-MBNSFAVAEHNK00378 ट्रेलर नं० अंकित नहीं के चालक एवं मालिक (6) ट्रेक्टर पंजीयन संख्या अंकित नहीं, महिन्द्रा B275 DI (भूमीपुत्र) इंजन नं०-RKM2DBN2620 चेचिस सं०-MBNAAADAPKRM03040 ट्रेलर नं० JH-1669 के चालक एवं मालिक (6) ट्रेक्टर पंजीयन संख्या JH10BP-8594, आयसर 380 इंजन नं०-J31056 चेचिस सं०-926613166242 ट्रेलर नं० JH10BP-5519 के चालक एवं मालिक
68	बैंकमोड (भूली) थाना काण्ड सं०-222/24, दि०-08.11.2024, धारा-303(2)/317(2)/3(5) बी०एन०एस० एवं 13/21 खान एवं खनिज अधिनियम	प्राथमिकी अभियुक्त (1) हाइवा ट्रक वाहन सं०-JH10AF-3057 के चालक/मालिक एवं (2) ट्रेक्टर वाहन सं०-JH10CS-1527 के चालक/मालिक
69	बरवाअड़डा थाना काण्ड संख्या-211/2024, दिनांक-09.11.2024, धारा-303(2)/317(2) भारतीय न्याय संहिता, 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन एवं भण्डारण) नियमावली 2017, 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	प्राथमिकी अभियुक्त Sonalika कम्पनी का ट्रेक्टर जिसका चेचिस नम्बर EZJSJ1 19982953 इंजन नं० 3100FLU24U24G1198989F18 के मालिक एवं चालक एवं Euro कम्पनी का ट्रेक्टर जिसका चेचिस नम्बर 1053500792FJ इंजन नं० E3563454 मालिक एवं चालक
70	निरसा थाना काण्ड सं०-379/24, दिनांक-08.11.2024, धारा-303(2)/317(2) बी०एन०एस० 2023 एवं 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) 1957 एवं 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 एवं 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक,परिवहन और भंडारण) नियम 2017	प्राथमिकी अभियुक्त-(1) सिल्वर रंग का आईसर 380 ट्रेक्टर सं०- JH10CQ& 6690 जिसका इंजन नम्बर- S325M61586 तथा चेचिस नं०-931931135969 अंकित (2) ब्लू रंग का सोनालिका ट्रेक्टर MODEL DI 734 जो बिना नंबर का है जिसका इंजन नं०-3100NS34B1272700F31 एवं चेचिस नं०-MZQSK1283756SM के अज्ञात मालिक एवं चालक
71	निरसा थाना काण्ड सं०-379/24, दिनांक-08.11.2024, धारा-303(2)/317(2) बी०एन०एस० 2023 एवं 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन)-1957 एवं 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 एवं 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक,परिवहन और भंडारण) नियम 2017	प्रा०अभि०-(1) बिना नम्बर प्लेट का ब्लू रंग का POWER ट्रेक्टर, जिसका इंजन नम्बर-434PLVS बीन नम्बर का ट्रेक्टर-E3-215D3H E-3382821, D10397520B (2) ब्लू रंग का New Holland 3032 ट्रेक्टर C&8282269101F09J4118718-K90605355 (3) ब्लू रंग का SONALIKA DI-734 ट्रेक्टर सं०-JH10AR6193 के मालिक एवं चालक
72	कतरास थाना काण्ड सं०-321/24, दि०-09.11.24, धारा-303(2) भा०न्या०सं० एवं 4/21 एवं 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा 7/9/13 झारखण्ड खनिज नियम।	1. सोनालिका कंपनी का ट्रेक्टर बिना नंबर प्लेट का, जिसका चेचिस सं०-MZJSR1029496S3 इंजन नं०-3100FLU14B1024392F, डाला सं०-अंकित नहीं 2. रवराज कंपनी का ट्रेक्टर बिना नंबर प्लेट का, जिसका चेचिस सं०-MBNAK48ACPTTE01769 इंजन नं०-CJ1354/PD003991
73	मनियाडीह थाना काण्ड सं०-22/2024, दिनांक-08.11.2024, धारा- 303(2)/317(2)/3(5) बी०एन०एस०-2023 एवं 54 J.M.M.C एवं 13 J.M.(PIMTS) Rules-2017	बिना नम्बर के ट्रेक्टर के टाली
74	निरसा (एम०पी०एल० ओ०पी०) थाना काण्ड संख्या 380/24 दि० 08.11.24 धारा 302(2)/317(2)/बी०एन०एस० तथा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम 1957, 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 एवं 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भण्डारण) नियम 2017	इंजन नम्बर RNM7EBN0344 चेचिस नम्बर MBNTFAEDBNRM00341 के चालक एवं मालिक
75	ससयबेला थाना काण्ड सं० 266/24 दिनांक 30.11.24 धारा 317(5) /3(5)बी०एन०एस० 21 खान एवं खनिज अधि 1957 झारखण्ड लघु खनिज अधि० नियमावली 2004 की धारा 54 झारखण्ड खनिज (अवैध खानन रोक परिवहन और भंडारण नियम 2017 की धारा 13/9 :-य	प्रा०अभि० वाहन सं०-जे०एच० 10 बी०पी० 0487,जे०एच० 10 ए०टी० 5872,वाहन सं० जे०एच० 10 बी०ई० 7920 के मालिक एवं चालक
76	तोपचाँकी थाना काण्ड संख्या-135/2024, दिनांक-01.	अज्ञात ट्रेक्टर चालक



	11.2024, धारा 303(2)/317(2) बी०एन०एस० 2023 एवं 21-खान खनिज(विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 13-झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2017	
77	बरोरा थाना कांड सं०-55/24, दिनांक- 08.11.2, धारा-303(2)/317(2) भा०न्या०सं० एवं 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक,परिवहन और भण्डारण)नियम-2017 तथा 54 झा० लघु खनिज नियम और 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियम) अधि०	वाहन सं०-JH10AF 9083 के मालिक एवं चालक
78	मधुबन थाना कांड सं०-84/24 दिनांक-28.11.24 धारा-317/3(5) बी०एन०एस० एवं 13/21/54 खान एवं खनीज अधिनियम	अज्ञात अपराधकर्मी
79	निरसा(कालुबथान) थाना काण्ड संख्या-363/24 दि० 30. 10.24 धारा 303(2)/317(2) बी०एन०एस० एवं 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957, 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 एवं 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भण्डारण) नियम 2017	ट्रेक्टर का इंजन नं० E3.234B.3AE3.659403 चेचिस नं० PACIFSCORTS-10678580 बिना नम्बर का गाड़ी
80	राजगंज थाना कांड सं०-54/24, दिनांक-27.10.24, धारा-303(2)/317(5)/3(5) भा०न्या०सं० एवं 4/21 खान एवं खनिज अधि० एवं 4/21 खान एवं खनिज अधि० एवं 4/54 झा० लघु खनिज समनुदान नियमावली एवं 7/9/13 झा०खनिज(अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भण्डारण) नियम	(1) लाल रंग का ट्रेक्टर रजि० नं०-JH10CC7989, इंजन नं०- 529827240302, चेचीस नं०-929811517361 एवं डाला रजि० सं०-अंकित
81	चिरकुण्डा (मैथन ओ०पी०) थाना काण्ड सं०-105/24 दिनांक-12.04.24 धारा- 414/34 भा०द०वि० 21- खान एवं खनिज विकास 1957, 13 झारखण्ड खनिज अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भण्डारण) नियम 2017 तथा 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	प्राथमिकी अभियुक्त ट्रक सं० जे०एच०-10 यू० 8954 के मालिक एवं चालक
82	मनियाडीह थाना कांड सं०-07/2024, दिनांक-14.04. 2024, धारा-379/414/34 भा.द.स. एवं 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान निमावली 2004	प्राथमिकी अभियुक्त 01.हाईवा सं०-श्र००९.5936 के मालिक एवं चालक 02. श्र० सं०-०२२७००.1.1773 के मालिक एवं चालक 03. श्र० जिसका चेचिस नं०-४२३०९०२५२६६१९ के मालिक एवं चालक 04. ०२२४००४४९७९ रर३२४४६६९ के अज्ञात जमीन के मालिक एवं चालक
83	मनियाडीह थाना कांड सं०-08/2024, दिनांक-15.04. 2024, धारा-379/414/34 भा.द.स. एवं 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान निमावली 2004 एवं 13 झारखण्ड खनिज विता नियमावली 2017	अज्ञात अपराधकर्मी
84	तिसरा(अलकडीहा ओ०पी०) काण्ड सं०-29/2024 दिनांक-28.04.2024 धारा- 414/भा०द०वि० 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधि० 1957 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज(अवैध खनन पर रो परिवहन और भंडारण) नियम 2017	प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 01.काला लाल रंग का हिरो स्पलेन्डर जिसका रजिस्ट्रन नं०-अंकित नही चेचिस नं०-ड०२२१११०२२६९८४१अंकित एवं 02. हरा रंग का कावासाकी कैलिबर जिसका रजिस्ट्रन नं०-श्र०१०११६३२ के चालिक/मालिक
85	बरवाअड्डा थाना काण्ड सं०-138/2024, दिनांक - 06.06.2024, धारा-302(2)/317(2) बी०एन०एस० एवं धारा 303(2)/317(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा - 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधि० 1957 एवं धारा 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 एवं धारा - 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भंडारण) नियम 2017	ट्रेक्टर/इंजन संख्या-01384, चेचीस संख्या-924413173061 के चालक एवं मालिक
86	बरवाअड्डा थाना कांड 139/2024, दिनांक -14.07.2024, धारा-303(2)/317(2) बी०एन०एस० एवं खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधि० की धारा - 4/21, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा - 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधि० 1957	प्राथमिकी अभियुक्त हाईवा ट्रक जिसका निबंधन संख्या श्र० 01।२ 5381 के विरुद्ध दिनांक. 02००७२०२०२४ को सुबह समय करीब 04२३० बजे एस०ओ०जी० टीम के द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत कमल कटसरिया रोड से हाजरा मोड़ के बीच पुल के पास हाईवा ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नं० श्र० 01।२ 5381



87	बरवाअड्डा थाना काण्ड सं०-151/2024, दिनांक-28.07.2024, धारा-303(2)/317(2), बी०एन०एस० धारा-13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भण्डारण) नियम 2017, धारा-21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधि० 1957, धारा 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	प्राथमिकी अभियुक्त 1० बालू लदा 407 वाहन रजिस्ट्रेशन नं० श्र०-10ड 0781 ए इंजन नं० २३57ए186288ए चेचिस नं० दृ N010TZ629205 के मालिक एवं चालक
88	निरसा थाना कांड सं०-213/2024 दिनांक-06.07.24 धारा-317 (5)/3 (5) बी.एन.एस. 2023 एवं 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा-54 झा० लघु खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा- 7/9/13 झा० खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भण्डारण) नियम 2017	प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर सं०-श्र०10उर.8685 के चालक/मालिक
89	निरसा थाना कांड सं०-224/2024 दिनांक-14.07.24 धारा-303 (2)/317 (2) बी.एन.एस. 2023 एवं 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा- 54 झा० लघु खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा- 13 झा० खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भण्डारण) नियम 2017	प्राथमिकी अभियुक्त हाईवा सं०-श्र०10।9591 (दस चक्का) के चालक/मालिक
90	निरसा थाना कांड सं०-213/2024 दिनांक-06.07.24 धारा-317 (5)/3 (5) बी.एन.एस. 2023 एवं 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा-54 झा० लघु खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा- 7/9/13 झा० खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भण्डारण) नियम 2017	प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर सं०-श्र०10उर.8685 के चालक/मालिक
91	निरसा थाना कांड सं०-224/2024 दिनांक-14.07.24 धारा-303 (2)/317 (2) बी.एन.एस. 2023 एवं 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा- 54 झा० लघु खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा- 13 झा० खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भण्डारण) नियम 2017	प्राथमिकी अभियुक्त हाईवा सं०-श्र०10।9591 (दस चक्का) के चालक/मालिक
92	निरसा थाना कांड सं०-213/2024 दिनांक-06.07.24 धारा-317 (5)/3 (5) बी.एन.एस. 2023 एवं 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा-54 झा० लघु खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा- 7/9/13 झा० खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भण्डारण) नियम 2017	प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर सं०-श्र०10उर.8685 के चालक/मालिक
93	निरसा थाना कांड सं०-73/2024 दिनांक-12.03.24 धारा-414/34 भा०द०वि० एवं धारा-21 MMDR Act 54 झा० खनिज समनुदान नियमावली 2004, 7/9/13 झा० खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भण्डारण) नियम 2017	प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर सं०-श्र०10ब.4487 मालिक/चालक के विरुद्ध कांड अंकित किया। कांड का सरांश है कि दिनांक-12.03.24 को समय 07:15 वादी द्वारा औचक निरीक्षण में एक ट्रैक्टर सं०-श्र०10ब.4487
94	महुदा थाना कांड सं०-16/24 दिनांक-07.03.24 धारा-414/34 भा०द०वि० एवं 21/54 खान एवं खनिज अधि० एवं 13 झा० अवैध खनन पर रोक अधिनियम	प्राथमिकी के नामजद अभि० 1. ट्रैक्टर चेचिस सं०-MBNABAVGAHRFOO819 का चालक एवं मालिक
95	पूर्वाटुण्डा थाना कांड सं०-29/2024, दिनांक-22.09.2024, धारा-303(2)/317(5)/3(5) बी०एन०एस० 2023 एवं 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम एवं 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली तथा 7/9/13 झारखण्ड खनिज विक्रता नियमावली	अभियुक्त 1. हाईवा वाहन सं०- JH10CL 1226 के चालक एवं मालिक व अन्य अज्ञात
96	टुण्डा थाना कांड सं०-83/2024, दिनांक-21.09.2024, धारा-303(2)/305(ब) बी०एन०एस० एवं 4(1)(1)/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम-1957, 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004, 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भण्डारण) नियम-2017 तथा 26	प्राथमिकी अभियुक्त 01. वाहन सं०- श्र०1।। 1445 के मालिक एवं चालक के विरुद्ध अवैध रूप से बालू



NGT Act		
97	राजगंज थाना कांड सं०-48/24, दिनांक-13.09.24, धारा-303(2)/317(2)/3(5) भा०न्या०सं० एवं 4/21 खान एवं खनिज अधि० एवं 4/54 झा० लघु खनिज समनुदान नियमावली तथा 7/9/13 झा०खनिज(अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम।	अज्ञात अपराध कर्मी
(वर्ष-2025 मार्च तक)		
98	पूर्वी टुण्डी थाना कांड सं०-04/25, दिनांक-19.01.2025, धारा-303(2)/317(5)बी०एन०एस० एवं 4/21 खान एवं खनिज अधि० एवं 4/54 झारखंड लघु खनिज समुदाय एवं 7/9/13 झारखंड खनिज विक्रेता नियमावली-2007	टाटा हाईवा सं०-JH10CM-3992 के चालक/मालिक
99	गोविन्दपुर थाना कांड सं०-32/25 दि०-18.01.25 धारा-303(2)/317(2) भा०न्या०सं०-2023 एवं 13 झा० खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन एवं भंडारण) नियम-17 एवं 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधि०-1957 एवं 54 झा० लघु खनिज समनुदान नियमावली-04	पर प्रा०अभि० बालू खनिज, ट्रैक्टर मालिक, ट्रैक्टर चालक
100	विरकुण्डा थाना कांड सं०-103/2025, दि०-26.03.2025, धारा-303(2)/317(2) बी०एन०एस० एवं 54 झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली एवं 11 झारखंड खनिज अवैध खनन पर रोक परिवहन और भंडारण तथा 192 मोटरयान अधि०	प्रा० अभि०-(1) ट्रैक्टर, सं०-(1) JH-10BK-7949 (अपठनीय) (2) JH-10CW-3032 (3) JH-10BF-6204 (4) JH-10AD-4831 के मालिक एवं चालक
101	बैकमोड थाना काण्ड सं० 70/25, दिनांक- 24.03.2025, धारा-317(5) भा०न्या०सं०, 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957, झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, एवं 13 झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017	प्रा० अभियुक्त शक्ति पाल मंडल, उम्र-45वर्ष, पिता-स्व० प्रफुल मंडल, सा०-मोराडीह, थाना- निरसा, जिला-धनबाद, एवं 02, वाहन सं०-WB-37-B/4736 के मालिक
102	बरवाइंडा थाना काण्ड संख्या-49/25, दिनांक-06.03.2025 धारा-303(2)/317(2)/3(5) भा०न्या०सं० एवं धारा-4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधि० 1957 एवं धारा-4/54 झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 एवं धारा-7/9/13 झारखंड खनिज(अवैध खनन पर रोक परिवहन और भंडारण) नियम 2017	प्राथमिकी अभियुक्त 1. वाहन पंजीकृत सं० - JH 10CW 6702 के मालिक 2. वाहन पंजीकृत सं०-JH10CW6702 के चालक 3. अन्य अज्ञात
103	सुदामडीह थाना कांड संख्या 26/25 दिनांक 27.03.2025 धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन अधिनियम 1957)/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004/7/13 झारखण्ड खनिज(अवैध खनन पर रोक परिवहन और भंडारण) नियम 2017 एवं 302(2)/317(2) बी०एन०एस०	अज्ञात
104	सरायडेला थाना कांड सं० 58/25 दिनांक 29.03.25 धारा-317(5)/3(5) बी०एन०एस० एवं 4/21 खान एवं खनिज(विकास का अधि०-1957)/7/9/13 (झारखंड खनिज(अवैध भंडारण पर रोक,परिवहन और भंडारण-2017	प्रा०अभि० (1)ट्रैक्टर सं०-BZJSP1396239SM INJAN NO-3100FLU341380483F18 (2)ट्रैक्टर सं०-JYASG770439S3 INJAN NO-3100FLU83H762426F18 (3)ट्रैक्टर सं०-JAYSS864812S3 INJAN NO-3100FLU93H860925F18 (4)ट्रैक्टर के चालक एवं मालिक

K

वरीय पुलिस अधीक्षक,
धनबाद।

K

3/05/25
वरीय पुलिस अधीक्षक,
धनबाद।





झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची

Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138

New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक-

राँची दिनांक-

प्रेषक,

मनोज कुमार गुप्ता
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

जिला खनन पदाधिकारी,
धनबाद, झारखण्ड।

विषय:-

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पूर्वी जोन बेंच कोलकाता में विचाराधीन वाद O.A. No. 128/2024/EZ, (Earlier O.A. No. 593/2024/PB) Live Hindustan.com के दिनांक-12.04.2024 संस्करण में प्रकाशित समाचार "इस साल भी निलामी के आसार नहीं घाटो पर माफियाओं का कब्जा धनबाद में धड़ल्ले से जारी है बालू तस्करी" बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य मामले में संलिप्त अभियुक्तों के संबंध में विस्तृत सूचना।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक-752/एम0, धनबाद, दिनांक-20/05/2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा प्रश्नगत मामले में समर्पित विस्तृत सूचना में धनबाद जिलान्तर्गत बालू के अवैध उत्खनन/भण्डारण एवं परिवहन में संलिप्त अभियुक्त का नाम/पता एवं दर्ज प्राथमिकी आदि का विवरण उपलब्ध कराया गया है परन्तु जप्त बालू की मात्रा की सूचना अंकित नहीं की गयी है।

अतएव, अनुरोध है कि उपरोक्त वांछित सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए जिससे अभियुक्तों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना एवं एतद् संबंधी राशि वसूल करने हेतु विधिसम्मत कार्रवाई कर माननीय न्यायाधिकरण को अवगत कराया जा सके। कृपया इसे आवश्यक प्राथमिकता प्रदान किया जाय।

विश्वासभाजन्

ह0/-

(मनोज कुमार गुप्ता)


विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक- 2016

राँची दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि: उपायुक्त, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

M. K. Gupta
(मनोज कुमार गुप्ता)
विशेष कार्य पदाधिकारी।





झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची

Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138

New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक-

राँची दिनांक-

प्रेषक,

मनोज कुमार गुप्ता
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

जिला खनन पदाधिकारी,
धनबाद, झारखण्ड।

विषय:-

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पूर्वी जोन बेंच कोलकाता में विचाराधीन वाद O.A. No. 128/2024/EZ, (Earlier O.A. No. 593/2024/PB) Live Hindustan.com के दिनांक-12.04.2024 संस्करण में प्रकाशित समाचार "इस साल भी निलामी के आसार नहीं घाटो पर माफियाओं का कब्जा धनबाद में धड़ल्ले से जारी है बालू तस्करी" बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य मामले में संलिप्त अभियुक्तों के संबंध में विस्तृत सूचना।

प्रसंग:-

- आपका पत्रांक-752/एम0, धनबाद, दिनांक-20/05/2025
- पर्षद का पत्रांक-2016 दिनांक-22/07/2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा प्रशनगत मामले में समर्पित विस्तृत सूचना में धनबाद जिलान्तर्गत बालू के अवैध उत्खनन/भण्डारण एवं परिवहन में संलिप्त अभियुक्त का नाम/पता एवं दर्ज प्राथमिकी आदि का विवरण उपलब्ध कराया गया है परन्तु जप्त बालू की मात्रा की सूचना अंकित नहीं की गयी है।

पर्षद के पत्रांक-2016 दिनांक 22.07.2025 के द्वारा बालू के अवैध उत्खनन/भण्डारण एवं परिवहन में संलिप्त अभियुक्तों की विस्तृत सूचना के साथ जप्त बालू की मात्रा भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जो सम्प्रति प्राप्त नहीं है।

अतएव, अनुरोध है कि उपरोक्त वांछित सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए जिससे अभियुक्तों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना एवं एतद् संबंधी राशि वसूल करने हेतु विधिसम्मत कार्रवाई कर माननीय न्यायाधिकरण को अवगत कराया जा सके। कृपया इसे आवश्यक प्राथमिकता प्रदान किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(मनोज कुमार गुप्ता)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

राँची दिनांक- 19/08/2025

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि: उपायुक्त, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(मनोज कुमार गुप्ता)
विशेष कार्य पदाधिकारी।